प्रेषक,

नितिका राजन,
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कन्नौज।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कन्नौज।

विषय– माननीय महोदय के गोपनीय अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 32/2021 दिनांकित 18.09.2021 के द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान् निवेदन है कि स्थायी लोक अदालत के सदस्यों की भर्ती के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना था। जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा माननीय महोदय के निर्देशानुसार जन सूचना अधिकारी कन्नौज से सम्पर्क किया गया। जिसके सम्बन्ध में माननीय महोदय से वार्ता के दौरान मेरे द्वारा यह सूचित किया गया कि स्थायी लोक अदालत के सदस्यों की भर्ती हेतु प्रकाशन सूचना कार्यालय हेड आफिस लखनऊ से निःशुल्क हो जायेगा। पुनः जन सूचना अधिकारी से सम्पर्क करने के उपरान्त उनके द्वारा मुझे मौखिक रुप से यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अपने स्तर से स्थायी लोक अदालत के सदस्यों की भर्ती के सम्बन्ध में राष्ट्रीकृत एवं स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करवा दिया जायेगा तथा वे स्वंय जन सूचना विभाग के हेड आफिस लखनऊ से सम्पर्क कर लेगे। जन सूचना अधिकारी कन्नौज के माध्यम से स्थायी लोक अदालत के सदस्यों की भर्ती के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत एवं स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन माह अगस्त 2021 में करवाया जा चुका है। जिसके सम्बन्ध में जन सूचना अधिकारी द्वारा मौखिक रुप से यह सूचित किया गया कि प्रकाशन हेतु कोई भी धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज के द्वारा देय नहीं होगी।

मेरे द्वारा माननीय महोदय के आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाता है। मेरा भाव कभी भी माननीय महोदय के आदेशो का उल्लंघन करने का नहीं होता है। सम्भवतः माननीय महोदय के मौखिक आदेश को समझने में त्रुटि हुयी है जिसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

स्पष्टीकरण माननीय महोदय के सेवा में सहानुभूतिपूर्वक विचार हेतु सादर प्रेषित।

दिनांक 20.09.2021

भवदीय

(नितिका राजन),
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कन्नौज